भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1497
दिनांक 09 दिसंबर, 2025 / 18 अग्रहायण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर अपराध इकाइयों की स्थापना

†1497. श्री विष्णु दयाल रामः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए राज्य, प्रभागीय और जिला स्तर पर समर्पित साइबर अपराध इकाइयां या पुलिस स्टेशन स्थापित किए हैं;
(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान बनाई गई उक्त इकाइयों की कुल संख्या कितनी है तथा उनकी स्थापना और कार्यप्रणाली का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (आई4सी) के ढांचे के अंतर्गत लाया गया है; और
(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं तथा देश भर में उक्त इकाइयों की एक समान स्थापना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ): भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की स्थापना सहित अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) साइबर सेल और साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों से संबंधित सांख्यिकी आंकड़ों को अपने प्रकाशन "पुलिस संगठनों के आंकड़े" में संकलित और

प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2024 की है। पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की कुल संख्या का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए समन्वय तंत्र को मजबूत करने और इसमें एकरूपता लाने के लिए, केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं :

i. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

ii. महिलाओं और बच्चों के प्रति साइबर अपराधों पर विशेष बल देते हुए, सभी प्रकार के साइबर अपराधों से संबंधित घटनाओं की सूचना देने में जनता को समर्थ बनाने हेतु आई4सी के भाग के रूप में 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (एनसीआरपी) (https://cybercrime.gov.in) शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर सूचित की गई साइबर अपराध की घटनाओं, उन्हें एफआईआर में बदलने और उन पर आगे कार्रवाई से जुड़े कार्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की संबंधित विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किए जाते हैं।

iii. आई4सी के तहत 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (सीएफसीएफआरएमएस), वर्ष 2021 में सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करके वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए शुरू की गई है। साइबर शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नम्बर '1930' शुरू किया गया है।

iv. आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों के प्रतिनिधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

v. आई4सी के तहत मेवात, जामतारा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमों (जेसीसीटी) का गठन किया गया है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय ढांचे को बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए बहु-न्यायिक मुद्दों वाले साइबर अपराध हॉटस्पॉट/क्षेत्रों के आधार पर पूरे देश को कवर करती हैं।

vi. समन्वय प्लेटफॉर्म को प्रचालनात्मक बनाया गया है जो साइबर अपराध संबंधी डेटा के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म, डेटा भंडार और समन्वय प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करेगा। यह विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में साइबर अपराध की शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के अंतर्राज्यीय संबंधों पर आधारित विश्लेषण प्रदान करता है। मॉड्यूल 'प्रतिबिंब' अपराधियों और अपराध संबंधी अवसंरचना के स्थानों को मानचित्र पर प्रदर्शित करता है, ताकि क्षेत्राधिकारियों को इसकी जानकारी मिल सके। यह मॉड्यूल विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा आई4सी और अन्य एसएमई (SMEs) से तकनीकी-कानूनी सहायता मांगने तथा प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान करता है। इससे 16,840 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई हैं और 1,05,129 साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

vii. राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे आई4सी की तर्ज पर राज्य/ क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (एस4सी/आर4सी) स्थापित करें, ताकि साइबर अपराध के बारे में साइबर आसूचना/खतरे संबंधी जानकारी आई4सी के साथ निर्बाध रूप से साझा की जा सके। अभी तक, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एस4सी स्थापित किए जा चुके हैं।

*****

अनुलग्नक

लोक सभा. अतारांकित प्र.सं. 1497 दिनांक 09.12.2025

साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों की संख्या				
		दिनांक 01.01.2020 की स्तिथि के अनुसार	दिनांक 01.01.2021 की स्तिथि के अनुसार	दिनांक 01.01.2022 की स्तिथि के अनुसार	दिनांक 01.01.2023 की स्तिथि के अनुसार	दिनांक 01.01.2024 की स्तिथि के अनुसार
1	आंध्र प्रदेश	1	3	3	3	3
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	1	1	1
3	असम	0	0	0	0	0
4	बिहार	1	0	1	0	44
5	छत्तीसगढ़	1	1	1	1	6
6	गोवा	1	1	1	1	1
7	गुजरात	4	14	24	24	39
8	हरियाणा	2	3	8	29	29
9	हिमाचल प्रदेश	1	1	1	1	4
10	झारखंड	7	7	7	7	7
11	कर्नाटक	51	11	8	8	2
12	केरल	4	19	19	19	20
13	मध्य प्रदेश	1	1	1	1	1
14	महाराष्ट्र	43	43	46	46	47
15	मणिपुर	1	1	1	1	1
16	मेघालय	1	1	1	1	1
17	मिजोरम	1	1	1	1	1
18	नागालैंड	1	1	1	1	1
19	ओडिशा	4	4	15	15	15
20	पंजाब	2	2	2	2	2
21	राजस्थान	2	2	2	33	34
22	सिक्किम	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	0	46	46	49	54
24	तेलंगाना	3	3	3	4	13
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0
26	उत्तर प्रदेश	2	2	18	18	75
27	उत्तराखण्ड	1	1	2	2	2
28	पश्चिम बंगाल	31	31	31	36	36
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	1
30	चंडीगढ़	0	0	0	1	1
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	0	0	15	15	15
33	जम्मू और कश्मीर	2	2	2	2	2
34	लद्दाख	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	1	1	1	1	1
	कुल	**169**	**202**	**262**	**323**	**459**

स्रोत: बीपीआर एंड डी प्रकाशन "पुलिस संगठनों के आँकड़े", 2020, 2021, 2022, 2023, 2024